न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्याः–24/2023(जीसीएमएस नम्बर 2023/76)

1. श्योजी,
2. गिर्राज पुत्रान किशनलाल,
3. मन्नी बेवा किशनलाल, समस्त जाति मीना, निवासी सुखचैनपुरा, तहसील लालसोट जिला दौसा।

——अपीलान्ट्स

बनाम

1. मूल्या पुत्र गंगाधर, जाति मीना निवासी भैरूवास चक नम्बर 3 टोडा ठेकला, तहसील लालसोट जिला दौसा, राजस्थान।
2. रामरूप पुत्र किशनलाल जाति मीना निवासी सुखचैनपुरा तहसील लालसोट जिला दौसा राजस्थान।
3. राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार लालसोट जिला दौसा।

——रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितिः–

1. **श्री मुकेश कुमार शर्मा एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से**
2. **श्री भूपेन्द्र भारद्वाज एडवोकेट रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से**

निर्णय

दिनांक 20.03.2024

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2021 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहरात हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि, न्याय प्रक्रिया एवं कानून के सामान्य सिद्धान्तों विपरित जाकर पारित किया गया आदेश है जो एकदम मनमाना एवं प्रक्रियाओं का दुरूपयोग कर पारित किया गया आदेश है जो तत्काल प्रभाव से निरस्तनीय है क्योंकि सर्वप्रथम तो धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र में यह आवश्यक होता है कि इसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आस–पडौसी खातेदारान का पक्षकार बनाना आवश्यक है परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने आवेदन में आस–पडौसी खातेदारान से सीमा सम्बन्धी विवाद होने का कथन प्रार्थना पत्र के चरण संख्या 3 में स्पष्ट रूप से किया गया है परन्तु अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 को बिना जानकारी एकपक्षीय विभाजन करवाने के पश्चात् अपीलान्ट व रेस्पाडेन्ट संख्या 2 की दर्ज खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 18, 19, 20, 21/2, 26/2, 27/2 विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण काबिज को जानबुझ कर पक्षकार दर्ज नही किया गया एव बिना आवश्यक पक्षकार के ही प्रश्नगत आदेश पारित कर दिया गया जो प्रथमतः विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि धारा 128 भू राजस्व अधिनियम के आवेदन में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने यह स्पष्ट कथन किया गया था कि उक्त भूमि का सीमाज्ञान भी पूव में हो चुका है परन्तु पत्रावली में ऐसी कोई साक्ष्य पेश नही हुई जिससे धारा 111 भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

की पालना हो सके फिर भी विचारण न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा मनमर्जी पूर्वक सारे नियम, कायदे, कानूनों को ताक में रखकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.11.2021 पारित किया गया है जो निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि उक्त वर्णित आराजीयात का पूर्व में सम्वत् 2046 से 2049 की जमाबन्दी के मुताबिक आराजी खसरा नम्बर 13, 15 लगायत 26, व 28 कुल किता 14 कुल रकबा 33 बीघा 6 बिस्वा भूमि वाके ग्राम भैरूवास चक नम्बर 3 में अंकित व स्थित थी। उक्त आराजीयात का अपीलान्ट संख्या 1 लगायत 3 व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता/पति किशनलाल व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा अन्य सहखातेदारान दर्ज थी और दर्ज हिस्सेनुसार ही मौके पर अपने पूर्वजों के समय से ही मनबंट से विभाजन कर अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज काश्त करते चले आ रहे थे व अपीलान्ट संख्या 1 व 2 के पिता व अपीलान्ट संख्या 3 के पति एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता किशनलाल के वरवक्त निर्णय व डिक्री से पूर्व ही मृत्यु हो चुकी थी परन्तु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर लालसोट के समक्ष एक वाद पत्र वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा उनवानी मूल्या बनाम सांवल्या मुकदमा नम्बर 299/1992 प्रस्तुत किया जिस पर अपीलान्ट के पिता व पति की किशनलाल की बिना जानकारी एवं उसकी मृत्यु होने के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनाक 19.06.1995 व संशोधित डिक्री व निर्णय दिनाक 06.07.1995 पारित करवा लिया। उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर कैम्प लालसोट जिला दौसा के समक्ष प्रस्तुत कर रखी है जो आज दिन भी विचाराधीन है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को उक्त अपील की भली प्रकार से जानकारी होने के उपरान्त भी तथ्य छिपाकर एवं अपीलार्थीगण को बिना पक्षकार बनाये उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गमत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम पेश किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी तथ्यों पर सही गौर नही कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2021 पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.11.2021 का अपास्त किया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की तन्हा खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि वाके ग्राम भैरूवास चक नम्बर 3 पटवार हल्का टोडा ठेकला तहसील लालसोट जिला दौसा में आराजी खसरा नम्बरा 18, 19, 20, 21/2, 26/2, 27/7 कुल रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 आराजी वादग्रस्त को अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर लगान सरकारी अदा करता आ रहा है तथा आराजी वादग्रस्त का खाता कानूनन पृथक व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के नाम होने के बावजूद भी राजनैतिक रसूखात वाले धनबली व भुजबली लोग रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के साथ वरवक्त जुताई, बुवाई, कृषि भूमि की सीमाओं को लेकर आपस में विवाद करने पर आमदा हो जाते है व भूमि के उपयोग–उपभोग मे मजामहत, मदाखलत दखलन्दाजी, अड़चन पैदा करते है जिसका की उन्हे कोई विधिक अधिकार प्राप्त नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा दिनांक 11.05.2019 को तहसीलदार लालसोट के समक्ष अपनी स्वयं की आराजी का सीमाज्ञान करवाये जाने बाबत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस

P.T.O.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 13.06.2019 को बिना मौके पर गये ही कब्जे संबंधी विवाद की रिपोर्ट कर दी गई, तत्पश्चात् भू अभिलेख तहसील लालसोट द्वारा कब्जे की विवाद सम्बन्धी स्पष्ट रिपोर्ट मांगी गई जिस पर पुनः हल्का पटवारी द्वारा बिना मौके पर गये ही मनमर्जी से कब्जे सम्बन्धी विवाद की रिपोर्ट कर दी गई फिर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा तहसीलदार लालसोट से पुलिस इमदाद के लिये निवेदन किया तो तहसीलदार लालसोट ने साफ मना कर दिया जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी हेतु प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी होने से पेश किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का विधिक रूप से परीक्षण करने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2021 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी गलती नही की गई। अतः अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया जिससे जाहिर होता है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने प्रार्थना पत्र में पडौसी खातेदारान से विवाद होना अंकित किया है एवं भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य पूर्व से ही एक वाद न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर कैम्प लालसोट जिला दौसा के समक्ष विचाराधीन है, उसके उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही बनाया गया और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी इस सम्बन्ध में बिना समरी जॉच किये ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 24.11.2021 पारित किया गया है, जो निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से उसे उचित नही ठहराया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.11.2021 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लालसोट जिला दौसा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाकर व भूमि विवादग्रस्त के सम्बन्ध में पूर्व से विचाराधीन वाद को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में समरी जॉच पश्चात् पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ0प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 20.03.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।